

ल से पार्टी न : हैरिस

की ओर से उपराष्ट्रपति पद
रिस ने रविवार को कहा कि
हस्तक्षेप से उनकी पार्टी को
अमेरिका में तीन नवंबर को
वाला है।

को दिए साक्षात्कार में कहा
रूस ने 2016 में अमेरिका
के खल दिया था। मैं सीनेट की
टी में रह चुकी हूँ, जो हुआ
पोर्ट प्रकाशित कर चुके हैं।
के दखल को लेकर आरोपों
उन्होंने कहा, मुझे लगता है
भी विदेशी दखल होगा।

की रिपोर्टिंग रोक नहीं

दालत ने सोमवार को भगोड़े
के प्रत्यर्पण के मुकदमे की
टीय पर रोक लगाने से इनकार
की पांच दिन की सुनवाई
जजाब नेशनल बैंक से करीब
खाद्याधी सैम्युल गूजी ने इस
रज कर दिया।



मुख्यालय "गौरा देवी पर्यावरण भवन" उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून वेबसाईट: www.ueppcb.uk.gov.in

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

M/s UJVN Limited द्वारा जिला-टिहरी में प्रस्तावित **Lakhwar Multipurpose Project (300 MW)** हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा द्वापद पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई0आई0ए0 अधिसूचना 14.09.2006 यथासंशोधित के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण से संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत है -

1. जिलाधिकारी, जनपद, टिहरी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।

2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, 25-सुभाष रोड़, देहरादून; मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-115, नेहरू कालोनी, देहरादून; कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी; कार्यालय जिला पंचायत, टिहरी; जिला उद्योग केन्द्र, टिहरी के कार्यालय में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है। पूर्व में जिला-टिहरी में प्रस्तावित **Lakhwar Multipurpose Project (300 MW)** हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई की तिथि 28.03.2020 को निर्धारित की गयी थी, परन्तु कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण लोक सुनवाई दिनांक 17.03.2020 को स्थगित कर दी गयी थी। उक्त लोक सुनवाई की तिथि दिनांक 12.10.2020 को प्रातः 11:00 बजे से रणोगी (डिबोगी राजकीय प्राथमिक विद्यालय), जिला-टिहरी गढ़वाल में निर्धारित की जाती है।

** पूर्व में **M/s UJVN Limited** द्वारा जिला-देहरादून में **Lakhwar Multipurpose Project (300 MW)** के लिये प्रस्तावित लोक सुनवाई हेतु दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" एवं "हिन्दुस्तान टाइम्स" में दिनांक 28.08.2020 को प्रकाशित सूचना में जो दिनांक 30.09.2020 को निर्धारित है, लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल को "परियोजना स्थल" के स्थान पर लखवाड़ स्टेडियम, नियर-महासू मन्दिर, ग्राम-लखवाड़, जिला-देहरादून पढ़ा जाये। अतः सर्वधारण को सूचित किया जाता है, कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियाँ इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-115, नेहरू कालोनी, देहरादून में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

Note:-जन सुनवाई कोविड-19 महामारी से सुरक्षा हेतु भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन्सों जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क, हैंड सैनिटाईजर व आरोग्य सेतु ऐप का पालन करते हुये सुनिश्चित की जायेगी।

पत्रांक-यूईपीपीसीबी/एचओ/Noc-7340/736 दिनांक 07.09.2020

सदस्य सचिव।

मुद्रक तथा प्रकाशक राजीव बेओतरा द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड (एच.एम.वी.प्रा.) के पक्ष

हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, प्लॉट नं. ई 3-

न सम्पादक: शशि शंकर

स्थानीय सम्पादक: गिरीश गुरुरानी*

दूरभाष: 757943259

*सम्पादक इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.उ

Hindustan Dehradun 8/9/20